बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश संख्या- 192 *पटना, दिनांक-* 13/12/17

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर के पत्रांक-954/स्था0 दिनांक-07.11.2017 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर सुश्री अंजली भारती, पिता-स्व0 राम वरण, भूतपूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग), हायाघाट, दरभंगा की वर्ग-03 के पद पर ग्रेड पे-1900/- पे बैण्ड 5200-20,200/- पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सुश्री अंजली भारती की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए ***श्रम अधीक्षक कार्यालय, मोतिहारी*** में पदस्थापित किया जाता है।

2. सुश्री अंजली भारती की जन्म तिथि-19.08.1990 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. सुश्री अंजली भारती पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. सुश्री अंजली भारती को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति सुश्री अंजली भारती द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. सुश्री अंजली भारती को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. सुश्री अंजली भारती को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

लगातार पेज-2/...........

(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

10. सुश्री अंजली भारती पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।

11. सुश्री अंजली भारती को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

12. सुश्री अंजली भारती आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-57/12 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आदेश की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नियुक्ति पत्र को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 10 (दस) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-57/12 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी (पू0 चम्पारण)/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मोतिहारी/ जिला पदाधिकारी, मोतिहारी (पू0 चम्पारण)/श्रम अधीक्षक, मोतिहारी/श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर के पत्रांक-954/स्था0 दिनांक-07.11.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

लगातार पेज-3/.........

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-57/12 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सुश्री अंजली भारती, पिता-स्व0 राम वरण, ग्राम+पो0-जमालाबाद, थाना-अहियापुर, प्रखण्ड+अंचल-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सुश्री अंजली भारती को निदेश दिया जाता है कि योगदान के समय वे स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ अन्य सभी प्रमाण-पत्रों को भी समर्पित करेंगे।

ह0/-

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-57/12 श्र0सं0- 7864 पटना, दिनांक- 13/12/17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/12/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।